रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 4 जून, 2022 ई० (ज्येष्ठ 14, 1944 शक संवत्) [संख्या 23

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	561–572	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	339–366	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	275–284	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

वित्त विभाग

[लेखा परीक्षा]

अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

12 जनवरी, 2022 ई0

सं0 10-25001(001)/1/2021-4-I/131496/2022—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के चयन परिणाम के आधार पर (अनुक्रमांक-129072) श्री रजत गुप्ता पुत्र श्री श्रीप्रकाश गुप्ता का चयन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर किया गया।

2—इस संबंध में शासन के पत्र संख्या आडिट-2-1131(25)/दस-2020-358(5)/2018, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर को संबोधित एवं अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण उ0प्र0, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर एवं पत्र की प्रति श्री रजत गुप्ता पुत्र श्रीप्रकाश गुप्ता को इस आशय से पृष्ठांकित कर प्रेषित की गयी थी कि श्री रजत गुप्ता निर्धारित शुल्क के साथ स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मेडिकल बोर्ड के समक्ष तत्काल उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

3—वांछित स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर शासन के पत्र संख्या आडिट-2-368(2)/दस-2020-358(5)/2018, दिनांक 09 मार्च, 2021 एवं पत्र संख्या 10-25001(001)/1/2021-4, दिनांक 08 जून, 2021 द्वारा अनुस्मरण कराया गया। शासन के पत्र संख्या I/109157/2021-10-25001(001)/12021-4, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 द्वारा श्री रजत गुप्ता को एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुये अन्तिम अवसर प्रदान किया गया किन्तु पर्याप्त समय/अवसर दिये जाने के बाद भी श्री रजत गुप्ता द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही शासन को कोई सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

4—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के चयन परिणाम के आधार पर स्थानीयय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर चयनित श्री रजत गुप्ता पुत्र श्री श्रीप्रकाश गुप्ता का अभ्यर्थन कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28/5/80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

5—अतः लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के चयन परिणाम के आधार पर स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर चयनित अभ्यर्थी (अनुक्रमांक 129072) श्री रजत गुप्ता पुत्र श्री श्रीप्रकाश गुप्ता का शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 10-25001(001)/1/2021-4-I/131498/2022—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के चयन परिणाम के

आधार पर (अनुक्रमांक-584566) श्री सुशील कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता का चयन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर किया गया।

2–शासन द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 7/2021/आडिट-2-10-25001(001)/1/2021-4, दिनांक 02 जून, 2021 के द्वारा श्री सुशील कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता की तैनाती जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जे0पी0 नगर (अमरोहा) पद पर करते हुये यह निर्देश दिये गये थे कि यदि वह उक्त आदेश के प्राप्ति के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वांछित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित निदेशक, मुख्यालय, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज अथवा संबंधित मण्डल के उपनिदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा की वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनकी नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

3–उक्तानुसार निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर शासन के पत्र संख्या -I/113081/2021-10-25001(001)/1/2021-4, दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुये अन्तिम अवसर प्रदान किया गया।

4–नियुक्ति-पत्र जारी होने के छः माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी श्री सुशील कुमार गुप्ता द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जे0पी0 नगर (अमरोहा) के पद पर न तो कार्यभार ग्रहण किया गया है और न ही शासन को कोई सूचना उपलब्ध करायी गयी। इससे स्पष्ट है कि श्री सुशील कुमार गुप्ता उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं।

5–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के चयन परिणाम के आधार पर स्थानीयय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर चयनित श्री सुशील कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता का कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 28/5/80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

6–अतः लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के चयन परिणाम के आधार पर स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर चयनित अभ्यर्थी (अनुक्रमांक 584566) श्री सुशील कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता का शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
हरिश्चन्द्र,
विशेष सचिव।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

03 जनवरी, 2022 ई0

सं0 आई/128275/2022/65-1001(001)/2/2021–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्त हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्मिक अनुभाग-04, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार

प्रस्तुत किये गये स्वः सत्यापन/घोषणा-पत्र के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थायी/पत्राचार का पता	गृह जनपद	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5
सुश्री ऋचा गुप्ता	श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता	मकान नं0 4-28, बजरिया हरलाल, जनपद-फर्रुखाबाद, उ0प्र0 पिनकोड-209625	फर्रुखाबाद	हरदोई

2–सुश्री ऋचा गुप्ता की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी ज्येष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री ऋचा गुप्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा-पत्र शैक्षिक तथा आयु संबंधित प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से परिचित हों, किन्तु संबंधी न हों आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थिति नहीं होते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मार्ग व्यय/यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

4–सुश्री ऋचा गुप्ता का अस्थाई नियुक्त-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सत्यापित नहीं होता है या उनके द्वारा अपने स्वः सत्यापन/घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो उक्त नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5–सुश्री ऋचा गुप्ता, तैनाती जनपद में 10 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों तथा कोषागार से बिल पारित कराने की प्रक्रिया से लेकर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगी और 10 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगीं।

सं0 आई 0/128293/2022/65-1099/21/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर श्री अवधेश कुमार कौशल का चयन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम/जन्म तिथि	अनुक्रमांक/उ0प्र0 लोक सेवा आयोग का मेरिट क्रमांक	पिता का नाम	स्थाई पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4	5
श्री अवधेश कुमार कौशल 12-04-1975	079974/16	श्री सत्यदेव गुप्ता	डी0-633 एम0आई0जी0 द्वितीय, बर्रा-2, जनपद-कानपुर देहात पिन कोड-208027	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी

2–अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या डी0एफ0ए0 70353/65-1099/21/2020, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 द्वारा श्री अवधेश कुमार कौशल का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति/तैनाती आदेश निर्गत करते हुये जनपद हमीरपुर में तैनाती प्रदान की गयी है। उक्त तैनाती आदेश में यह उल्लिखित किया गया था कि नियुक्ति-पत्र में उल्लिखित निर्दिष्ट अवधि 01 माह में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक के समक्ष यदि श्री कौशल उपस्थित नहीं होते हैं तो अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3–उल्लेखनीय है कि उक्त नियुक्ति/तैनाती आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 के निर्गतोपरान्त श्री अवधेश कुमार कौशल द्वारा उक्त पद पर योगदान नहीं किया गया और न ही इस संबंध में कोई सूचना शासन उपलब्ध करायी गयी। योगदान प्रस्तुत करने के संबंध में शासन के अधोलिखित पत्रों द्वारा जिसे श्री कौशल एवं उनके परिवारीजन को तामील कराया गया है, में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये यह निर्देशित किया गया है कि 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी। शासन के उक्त पत्रों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	पत्र संख्या	दिनांक
1	आई 0/55613/2021/65-1099/21/2020	04-03-2021
2	आई 0/83634/2021/65-1099/21/2020	29-07-2021

4–नियुक्ति-पत्र जारी होने के 01 वर्ष से अधिक समय होने और कुल 03 बार योगदान आख्या प्रस्तुत करने के संबंध शासन द्वारा प्रेषित पत्र तामील कराये जाने के बाद भी श्री कौशल द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है और न ही इनके द्वारा कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इसमें स्पष्ट है कि श्री कौशल उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

5–अतः उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित अभ्यर्थी श्री अवधेश कुमार कौशल का कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 28/5/80-का-4-199, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा जाता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से श्री अवधेश कुमार कौशल का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री अवधेश कुमार कौशल द्वारा उक्त अभ्यर्थन के संबंध में प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 आई I/128299/2022/65-1099/21/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर श्री रविकान्त द्विवेदी का चयन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम/जन्म तिथि	अनुक्रमांक/उ0प्र0 लोक सेवा आयोग का मेरिट क्रमांक	पिता का नाम	स्थाई पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4	5
श्री रविकान्त द्विवेदी 04-03-1986	124204/05	श्री रघुनन्दन धर द्विवेदी	कांग्रेस आफिस, वार्ड नं0-1, कटरा लालगंज, जनपद अमेठी, (सी0एस0एम0 नगर) उ0प्र0, दिनांक 227409	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी

2—श्री रविकान्त द्विवेदी का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व उनके द्वारा लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ0प्र0 में प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ संलग्नक प्रमाणीकरण प्रपत्र में अंकित पते पर शासन के पत्र संख्या 155/65-1-20-36/2019, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा श्री रविकान्त द्विवेदी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को निर्देशित किया गया। साथ ही श्री रविकान्त द्विवेदी को निर्देशित किया गया है कि वह तत्काल राज्य चिकित्सा परिषद्, लखनऊ से सम्पर्क कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें।

3—उल्लेखनीय है कि श्री रविकान्त द्विवेदी का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने से संबंधित शासन के पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2020 के निर्गतोपरान्त उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही इस संबंध में कोई सूचना शासन में उपलब्ध करायी गयी है। स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने से संबंधित शासन के अधोलिखित पत्रों द्वारा जिसमें से 02 पत्रों को श्री द्विवेदी एवं उनके परिवारीजन को तामील कराया गया, में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये यह निर्देशित किया गया है कि 15 दिवस के अन्दर अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराकर शासन को सूचित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्तीकरण की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी। शासन के उक्त पत्रों का विवरण निम्नवत् है—

क्र0सं0	पत्र संख्या	दिनांक
1	65-1099/21/2020	14-05-2020
2	डी0एफ0ए0 61146/65-1099/21/2020	11-09-2020
3	आई 0/55618/2021/65-1099/21/2020	04-03-2021 (अन्तिम अवसर)
4	आई 0/83619/2021/65-1099/21/2020	29-07-2021 (अन्तिम अवसर)

4—स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी पत्र जारी होने के 1.5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने और कुल 05 पत्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु अनुरोध करने (जिसमें से 02 पत्रों को श्री रविकान्त द्विवेदी एवं उनके परिवारीजन तामील कराया गया है), के बाद भी उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही इनके द्वारा कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री रविकान्त द्विवेदी उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं।

5—अतः उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित अभ्यर्थी श्री रविकान्त द्विवेदी का कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 28/5/80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा जाता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से श्री रविकान्त द्विवेदी का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री रविकान्त द्विवेदी द्वारा उक्त अभ्यर्थन के संबंध में प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 आई I/128309/2022/65-1099/21/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर श्री बलवीर सिंह का चयन

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम / जन्म तिथि	अनुक्रमांक / उ0प्र0 लोक सेवा आयोग का मेरिट क्रमांक	पिता का नाम	स्थाई पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4	5
श्री बलवीर सिंह 12-04-1983	035454 / 02	श्री गिरीश चन्द्र	मकनपुर गढ़ी, जनपद बाराबंकी, उ0प्र0, पिनकोड- 225126	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी

2–श्री बलवीर सिंह का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति-पत्र जारी करने से पूर्व उनके द्वारा लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ0प्र0 में प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ संलग्नक प्रमाणीकरण प्रपत्र में अंकित पते पर शासन के पत्र संख्या 155 / 65-1-20-36 / 2019, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा श्री बलबीर सिंह का राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को निर्देशित किया गया। साथ ही श्री बलबीर सिंह को निर्देशित किया गया है कि वह तत्काल राज्य चिकित्सा परिषद्, लखनऊ से सम्पर्क कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें।

3–उल्लेखनीय है कि श्री बलबीर सिंह का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने से संबंधित शासन के पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2020 के निर्गतोपरान्त उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही इस संबंध में कोई सूचना शासन में उपलब्ध करायी गयी है। स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने से संबंधित शासन के अधोलिखित पत्रों द्वारा जिसमें से 02 पत्रों को श्री सिंह एवं उनके परिवारीजन को तामील कराया गया, में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये यह निर्देशित किया गया है कि 15 दिवस के अन्दर अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराकर शासन को सूचित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्तीकरण की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी। शासन के उक्त पत्रों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	पत्र संख्या	दिनांक
1	65-1099 / 21 / 2020	14-05-2020
2	डी0एफ0ए0 61146 / 65-1099 / 21 / 2020	11-09-2020
3	आई 0 / 55618 / 2021 / 65-1099 / 21 / 2020	04-03-2021 (अन्तिम अवसर)
4	आई 0 / 83619 / 2021 / 65-1099 / 21 / 2020	29-07-2021 (अन्तिम अवसर)

4–स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी पत्र जारी होने के 1.5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने और कुल 05 पत्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु अनुरोध करने (जिसमें से 02 पत्रों को श्री बलबीर सिंह एवं उनके परिवारीजन तामील कराया गया है), के बाद भी उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही इनके द्वारा कोई सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री बलबीर सिंह उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं।

5–अतः उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित अभ्यर्थी श्री बलवीर सिंह का कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 28 / 5 / 80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा जाता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक

प्रभाव से श्री बलबीर सिंह का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री बलबीर सिंह द्वारा उक्त अभ्यर्थन के संबंध में प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 आई 0/128322/2022/65-1099/21/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर सुश्री अदिति का चयन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम/ जन्म तिथि	अनुक्रमांक/उ0प्र0 लोक सेवा आयोग का मेरिट क्रमांक	पिता का नाम	स्थाई पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4	5
सुश्री अदिति 02-08-1991	243717/01	श्री अशोक कुमार सिंह	175 सी–9 के, आश्रय, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 30 फीट रोड, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश पिनकोड-211011	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी

2–सुश्री अदिति का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति-पत्र जारी करने से पूर्व उनके द्वारा लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ0प्र0 में प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ संलग्नक प्रमाणीकरण प्रपत्र में अंकित पते पर शासन के पत्र संख्या 155/65-1-20-36/2019, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा सुश्री अदिति का राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को निर्देशित किया गया। साथ ही सुश्री अदिति को निर्देशित किया गया है कि वह तत्काल राज्य चिकित्सा परिषद्, लखनऊ से सम्पर्क कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें।

3–उल्लेखनीय है कि सुश्री अदिति का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने से संबंधित शासन के पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2020 के निर्गतोपरान्त उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही इस संबंध में कोई सूचना शासन में उपलब्ध करायी गयी है। स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने से संबंधित शासन के अधोलिखित पत्रों द्वारा जिसमें से 02 पत्रों को सुश्री अदिति एवं उनके परिवारीजन को तामील कराया गया, में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये यह निर्देशित किया गया है कि 15 दिवस के अन्दर अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराकर शासन को सूचित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्तीकरण की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी। शासन के उक्त पत्रों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	पत्र संख्या	दिनांक
1	65-1099/21/2020	14-05-2020
2	डी0एफ0ए0 61146/65-1099/21/2020	11-09-2020
3	आई 0/55618/2021/65-1099/21/2020	04-03-2021 (अन्तिम अवसर)
4	आई 0/83619/2021/65-1099/21/2020	29-07-2021 (अन्तिम अवसर)

4–स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी पत्र जारी होने के 1.5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने और कुल 05 पत्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु अनुरोध करने (जिसमें से 02 पत्रों को सुश्री अदिति एवं उनके परिवारीजन तामील कराया गया है), के बाद भी उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही इनके द्वारा कोई

सूचना शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि सुश्री अदिति उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं।

5—अतः उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में चयनित अभ्यर्थी सुश्री अदिति का कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 28/5/80-का-4-1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा जाता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से सुश्री अदिति का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त सुश्री अदिति द्वारा उक्त अभ्यर्थन के संबंध में प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।

आज्ञा से,
हेमन्त राव,
अर मुख्य सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

औपबंधिक नियुक्ति

03 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 1639/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री पंकज कुमार पुत्र श्री वकील राम का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री—						
156	श्री पंकज कुमार/ वकील राम	05-01-1996	129836	वाराणसी	वकील राम, प्लाट नं0 121, शंकरपुरम कालोनी, वाराणसी, उ0प्र0-221007	वकील राम, प्लाट नं0 121, शंकरपुरम कालोनी, वाराणसी, उ0प्र0-221007	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1640/सत्ताईस-13-2021-49/21–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा

नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र श्री शिव प्रताप सिंह चौधरी का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
157	अभिषेक प्रताप सिंह/शिव प्रताप सिंह चौधरी	25-09-1995	81006	इटावा	अभिषेक प्रताप सिंह, नगला सबसुख, कुनैठा, इटावा उ0प्र0-206124	अभिषेक प्रताप सिंह, फ्लैट ए 1, एल0आई0सी0 आफिसर्स कालोनी, मॉडल टाउन, गाजियाबाद, उ0प्र0-201009	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

आज्ञा से,
फूल चन्द्र,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 1–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 4 जून, 2022 ई० (ज्येष्ठ 14, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,

विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

17 मई, 2022 ई0

सं0 162/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2022–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद–अमरोहा तहसील–अमराहो परगना–अमरोहा ग्राम–असावर, गजरौला प्रभुवन, नाईपुरा, सईदाबाद व ईट का रढा में कुल 2.0177 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

.....

.....

.....

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

.....

.....

.....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	असावर	3/1	0.1269
				3/2/1	0.1275
				7-मि0	0.2640
				योग . .	**0.5184**
			गजरौला प्रभुवन	16-मि0	0.1148
				20-मि0	0.1540
				14-मि0	0.0360
				15	0.0370
				187	0.0390
				योग . .	**0.3808**
			नाईपुरा	128	0.0175
				योग. .	**0.0175**
			सईदाबाद	51	0.0250
				57	0.5390
				68	0.1650
				70	0.3520
				योग. .	**1.0810**
			ईट का रढा	75-मि0	0.0200
				योग. .	**0.0200**
				कुल योग. .	**2.0177**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 21 (इक्कीस) (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

NOTIFICATION

May 17, 2022

No. 162/VIII-S.L.A.O./Amroha / 2022—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 2.0177 hectares of land is required in the Village-Asawar, Gazrolla Prabhuwan, Naipura, Saidabad and Eat Ka Rada, Pargana-Amroha,Tehsil-Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the state social impact assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

……..
……..
……..

4. A total of …….. families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

……
……

Deputy Collector/Assistant Collector is …….. appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Amroha	Amroha	Asawar	3 / 1	0.1269
				3 / 2 / 1	0.1275
				7 मि0	0.2640
				Total. .	**0.5184**
			Gazrolla Prabhuwan	16 मि0	0.1148
				20 मि0	0.1540
				14 मि0	0.0360
				15	0.0370
				187	0.0390
				Total. .	**0.3808**
			Naipura	128	0.0175
				Total. .	0.0175

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Amroha	Amroha	Saidabad	51	0.0250
				57	0.5390
				68	0.1650
				70	0.3520
				Total. .	**1.0810**
			Eat Ka Rada	75 मि0	0.0200
				Total. .	**0.0200**
				Grand Total. .	**2.0177**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 21 (Twenty-one) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

सं0 163/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2022—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद—अमरोहा, तहसील—धनौरा, परगना—धनौरा, ग्राम—सलेमपुर माफी नंगला माफी खाद गूजर व होंशगपुर गूजर में कुल 0.6072 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

4—भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है।

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल	गाटे की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
अमरोहा	धनौरा	धनौरा	सलेमपुर माफी	12	0.0797	सामान्य
				5	0.0513	लिंक मार्ग
				योग. .	**0.1310**	
			नंगला माफी	10-मि0	0.0800	लिंक मार्ग
				50	0.0309	सामान्य
				योग. .	**0.1109**	
			खाद गूजर	61/3	0.0845	लिंक मार्ग
				योग. .	**0.0845**	
			होशंगपुर गूजर	119	0.2808	सामान्य
				योग. .	**0.2808**	
				कुल योग. .	**0.6072**	

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 21 (इक्कीस) (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

No. 163/VIII-S.L.A.O./Amroha/2022–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.6072 hectares of land is required in the Village-Slampur Mafi, Nagla Mafi, Khad Gujar and Hoshangpur Gujar,

Pargana-Dhanora,Tehsil-Dhanora, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment Study was carried out by the state social impact assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government..X which has approved its recommendation on date .X.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Under Section to 2(1) of the Land Acquisition Act, 2013, Social Impact Assessment is not applicable on the Irrigation Department.

4. A total of Zero families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

……..

……..

Deputy Collector/Assistant Collector……is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Dhanora	Dhanora	Salampur Mafi	12	0.0797
				5	0.0513
				Total. .	**0.1310**
			Nagla Mafi	10-मि0	0.0800
				50	0.0309
				Total. .	**0.1109**
			Khad Gujar	61/3	0.0845
				Total. .	**0.0845**
			Hosangpur Gujar	119	0.2808
				Total. .	**0.2808**
				Grand.Total. .	**0.6072**

6. The Government is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 21(Twenty-one) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

सं0 164/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2022—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद अमरोहा तहसील अमराहो परगना अमरोहा ग्राम हसन सराय, सरकडी मुन्डी, शहवाजपुर कलां, नंगला कलां व अहमदपुर देवीपुरा में कुल 1.0451 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

.....

.....

.....

4—भूमि अर्जन के कारण कुल....शून्य.....परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है—

.....

.....

.....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	हसन सराय	227	0.0720
				253/1	0.1244
				253/2	0.1240
				301	0.0480
				योग. .	**0.3684**
			सरकडी मुन्डी	10-अ	0.1015
				24	0.1144
				योग. .	**0.2159**
			भाहवाजपुर कलां	633	0.1705
				599	0.0123
				योग. .	**0.1828**
			नगला कलां	69	0.0773
				योग. .	**0.0773**
			अहमदपुर देवीपुरा	48	0.1340
				84	0.0667
				योग. .	**0.2007**
				कुल ग्रामों का योग. .	**1.0451**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 21 (इक्कीस) (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	पुर्नवासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर

————————विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य"————————

टिप्पणी:–उक्त भूमि का स्थल नक्शा..... के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

No. 164/VIII-S.L.A.O./Amroha / 2022—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 1.0451 hectares of land is required in the **V**illage Hasan Saray, Sarkadi Mundi, Shahwajpur Kala, Nagla Kala and Ahmadpur Devipura, Pargana-Amroha, Tehsil-Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the state social impact assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

……..

……..

……..

4. A total of …… families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

……..

……..

Deputy Collector/Assistant Collector……is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Amroha	Amroha	Hasan Sarai	227	0.0720
				253/1	0.1244
				253/2	0.1240
				301	0.0480
				Total. .	**0.3684**
			Sarkadi Mundi	10-अ	0.1015
				24	0.1144
				Total. .	**0.2159**
			Shahwajpur Kala	633	0.1705
				599	0.0123
				Total. .	**0.1828**
			Nagla Kala	69	0.0773
				Total. .	**0.0773**
			Ahmedpur Devipura	48	0.1340
				84	0.0667
				Total. .	**0.2007**
				Grand Total of Village. .	**1.0451**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 21(Twenty-One) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

SCHEDULE-B

(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
…… No. of Displaced Families 'Zero' ……					

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

सं0 165/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2022–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद–अमरोहा, तहसील–अमरोहा, परगना–अमरोहा, ग्राम–हैबतपुर व लम्बिया में कुल 0.7263 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

.....

.....

.....

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

.....

.....

.....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	हैवतपुर	23	0.0360
				50	0.0760
				66-अ	0.1345
				66-ब	0.0095
				158-मि0	0.0200
				185-अ	0.0355
				185-ब	0.0125
				योग. .	**0.3240**
			लम्बिया	57	0.0480
				62/3	0.1281
				62/4	0.0047
				67	0.0394
				150	0.1350
				197	0.0321
				225	0.0150
				योग. .	**0.4023**
				कुल ग्रामों का योग. .	**0.7263**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 21 (इक्कीस) (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

NOTIFICATION

May 17, 2022

No. 165/VIII-S.L.A.O./Amroha / 2022—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.7263 hectares of land is required in the Village-Hebatpur And Lambiya, Pargana-Amroha, Tehsil-Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body).

2. Social impact assessment study was carried out by the state social impact assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

……..

……..

……..

4. A total of …… families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

……..

……..

Deputy Collector/Assistant Collector……is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Amroha	Amroha	Hewatpur	23	0.0360
				50	0.0760
				66-अ	0.1345
				66-ब	0.0095
				158-मि0	0.0200
				185-अ	0.0355
				185-ब	0.0125
				Total. .	**0.3240**
			Lambia	57	0.0480
				62/3	0.1281
				62/4	0.0047
				67	0.0394
				150	0.1350
				197	0.0321
				225	0.0150
				Total. .	**0.4023**
				Grand Total. .	**0.7263**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enterupon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 21 (Twenty-one) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

सं0 166/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2022–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद–अमरोहा, तहसील–अमरोहा, परगना–अमरोहा, ग्राम–सरकडा कमाल व जगवां खुर्द में कुल 1.3035 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया हे तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

.....

.....

.....

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

.....

.....

.....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	सरकडा कमाल	194	0.0530
				195	0.0038
				196-मि0	0.1165
				199	0.0400
				219	0.1820
				293	0.1270
				225-अ	0.0921
				225-ब	0.0179
				294	0.1270
				304	0.1240
				308-मि0	0.1250
				314 मि0	0.1000
				120	0.0238
				120-मि0	0.0074
				68	0.0275
				191	0.0238
				योग. .	**1.1908**
			जगुवा खुर्द	1-मि0	0.0567
				4	0.0560
				योग. .	**0.1127**
				कुल योग. .	**1.3035**

6–अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 21 (इक्कीस) (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

No. 166/VIII-S.L.A.O./Amroha / 2022—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 1.3035 hectares of land is required in the Village-Sarkada Kamal and Jagwa Khurd, Pargana-Amroha, Tehsil-Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body).

2. Social impact Assessment study was carried out by the state social impact assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

……..

……..

……..

4. A total of …… families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

……..

……..

Deputy Collector/Assistant Collector……is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Amroha	Amroha	Sarkada Kamal	194	0.0530
				195	0.0038
				196-मि0	0.1165
				199	0.0400
				219	0.1820
				293	0.1270
				225-अ	0.0921
				225-ब	0.0179
				294	0.1270
				304	0.1240
				308-मि0	0.1250

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Amroha	Amroha	Sarkada Kamal	314-मि0	0.1000
				120	0.0238
				120-मि0	0.0074
				68	0.0275
				191	0.0238
				Total. .	**1.1908**
Amroha	Dhanora	Dhanora	Jagwa Khurda	1-मि0	0.0567
				4	0.0560
				Total. .	**0.1127**
				Grand Total. .	**1.3035**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 21 (Twenty-one) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

सं0 167/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2022—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि....उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर.....(आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद—अमरोहा, तहसील—हसनपुर, परगना—हसनपुर, ग्राम—घोसीपुरा व नगलिया जटमें कुल 0.4087 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

4—भूमि अर्जन के कारण कुल....शून्य.....परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है।

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल	गाटे की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	घोसीपुरा	50	0.0880	लिंक मार्ग
				69	0.0704	लिंक मार्ग
				70	0.0374	सामान्य
				71	0.0704	सामान्य
				योग. .	**0.2662**	
			नंगलिया जट	121	0.0825	आबादी के निकट
				148	0.0600	सामान्य
				योग. .	**0.1425**	
				कुल योग. .	**0.4087**	

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के...21 (इक्कीस).... (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	पुर्नवासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर

————————विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य"————————

टिप्पणी:–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

No. 167/VIII-S.L.A.O./Amroha / 2022—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0-4087 hectares of land is required in the Village-Ghosipura and Nagliya Jat, Pargana-Amroha,Tehsil-Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body).

2. Social impact assessment study was carried out by the state social impact assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government..X which has approved its recommendation on date .X..

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Under Section to 2(1) of the Land Acquisition Act, 2013, Social Impact Assessment is not applicable on the Irrigation Department.

4. A total of Zero families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

……..

……..

Deputy Collector/Assistant Collector……is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Ghosipura	50	0.0880
				69	0.0704
				70	0.0374
				71	0.0704
				Total. .	**0.2662**
			Nagliya Jat	121	0.0825
				148	0.0600
				Total. .	**0.1425**
				Grand Total. .	**0.4087**

6. The Government is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to land acquisition to takes necessary steps to entreupon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) (60 Sixty) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

SCHEDULE-B

(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
…… No. of Displaced Families 'Zero' ……					

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

21 मई, 2022 ई0

सं0 193/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2022–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि ....उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-16, चन्दौसी .....(आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु डिडौली, मौहम्मदपुर नवादा, श्यामपुर,मोहडीजट, धनसुरपुर सन्तप्रसाद, डयोढी उर्फ हादीपुर, गंगदासपुर, पैगम्बरपुर उर्फ शाहपुर, परगना–अमरोहा, तहसील–अमरोहा, जिला–अमरोहा में 2.1137 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः–

.....

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

.....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	मौहम्मदपुर नवादा	73	0.5870
				योग. .	**0.5870**
			श्यामपुर	801	0.0800
				751	0.0160
				800	0.0500
				756	0.1000
				योग. .	**0.2460**
			मोहडीजट	390	0.1700
				391	0.1025
				योग. .	**0.2725**
			धनसुरपुर सन्तप्रसाद	62	0.2840
				77	0.1008
				78/2	0.0407
				78/3	0.0407
				योग. .	**0.4662**
			डयोढी उर्फ हादीपुर		
				250	0.1440
				160	0.0320
				151	0.0840
				150	0.1104
				153	0.0120
				योग. .	**0.3824**
			गंगदासपुर	8	0.0596
			पैगम्बरपुर उर्फ शाहपुर	75	0.1000
				कुल योग. .	**2.1137**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),

जिलाधिकारी, अमरोहा।

NOTIFICATION

May 21, 2022

No. 193/VIII-S.L.A.O./Amroha / 2022—Under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilatation and Resettlement Act, 2013, whereas the Goverment of Uttar Pradesh/ Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 2.1137 hectares of land is required in the Village-Mohammadpur Navada, Shyampur, Mohdijat, Ghansurpur Santh Prasad, Diyodi *urf* Hadipur, Gagdashpur, Pegamberpur *urf* Shahpur, Pargana–Amroha, Tehsil – Amroha, District- Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Through Executiv Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Div-16, Chandausi (Name of Acquiring body).

2. Social impact assessment study was carried out by the State Social Imapct Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.....

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IS NOT APPLICABLE–

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquired. The reason necessitating such displacement is as under :-

Deputy Collector/Assistant Collector Amroha is appointed as Adminstrator for the purpose of rehabilition and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hecatare
Amroha	Amroha	Amroha	Mohammadpur Navada	73	0.5870
			Shyampur	801	0.0800
				751	0.0160
				800	0.0500
				756	0.1000
				Total. .	**0.2460**
			Mohdijat	390	0.1700
			,	391	0.1025
				Total. .	**0.2725**

1	2	3	4	5	6
					Hecatare
Amroha	Amroha	Amroha	Ghansurpur Santh Prasad	62	0.2840
				77	0.1008
				78/2	0.0407
				78/3	0.0407
				Total. .	**0.4662**
			Diyodi *urf* Hadipur	250	0.1440
				160	0.0320
				151	0.0840
				150	0.1104
				153	0.0120
				Total. .	**0.3824**
			Gagdashpur	8	0.0596
			Pegamberpur *urf* Shahpur	75	0.1000
				Grand Total. .	**2.1137**

6. The Governor is also pleased to authorise the collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may be within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of Land *i.e,* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

30 मई, 2022 ई0

सं0 225/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2022—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर.....(आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद—अमरोहा, तहसील—अमरोहा, परगना—अमरोहा, ग्राम—कालाखेडा, रायपुर उर्फ शहजादपुर, शकरपुर समसपुर व सलारपुर खालसा में कुल 2.8093 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

.....

.....

.....

4—भूमि अर्जन के कारण कुल....भून्य.....परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है—

.....

.....

.....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	कालाखेडा	92	0.0160
				योग. .	**0.0160**
			रायपुर उर्फ शहजादपुर	48	0.2185
				49	0.0794
				38	0.1380
				37	0.1260

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	रायपुर उर्फ शहजादपुर	68	0.0864
				69	0.1140
				71	0.0684
				72	0.0816
				73	0.1152
				74	0.1536
				40	0.0188
				योग. .	**1.1999**
			शकरपुर समसपुर	173	0.5100
				योग. .	**0.5100**
			सलारपुर खालसा	17	0.1102
				24	0.0053
				27	0.0263
				28	0.0448
				30-अ	0.1813
				30-ब	0.0044
				39	0.0300
				46	0.0319
				58	0.0875
				83	0.0150
				77	0.1225
				91/1	0.1369
				91/2	0.0175
				67	0.0515
				69	0.0658
				400-मि0	0.1525
				योग. .	**1.0834**
				कुल योग. .	**2.8093**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 21 (इक्कीस) (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

NOTIFICATION

May 30, 2022

No. 225/VIII-S.L.A.O./Amroha / 2022—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 2.8093 hectares of land is required in the Village-Kala Kheda, Raipur *Urf* Shajadpur, Shakarpur Samaspur and Salarpur Khalsa, Pargana-Amroha, Tehsil-Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body).

2. Social impact assessment study was carried out by the state social impact assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

……..

……..

……..

4. A total of …… families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

……..

……..

Deputy Collector/Assistant Collector…….is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hecatare
Amroha	Amroha	Amroha	Kala Kheda	92	0.0160
			Raipur *urf* Shahjadpur	48	0.2185
				49	0.0794
				38	0.1380
				37	0.1260
				68	0.0864
				69	0.1140
				71	0.0684
				72	0.0816

1	2	3	4	5	6
					Hecatare
Amroha	Amroha	Amroha	Raipur urf shahjadpur	73	0.1152
				74	0.1536
				40	0.0188
				Total. .	**1.1999**
			Shakarpur Shamspur	173	0.5100
				Total. .	**0.5100**
			Salarpur Khalsa	17	0.1102
				24	0.0053
				27	0.0263
				28	0.0448
				30-अ	0.1813
				30-ब	0.0044
				39	0.0300
				46	0.0319
				58	0.0875
				83	0.0150
				77	0.1225
				91/1	0.1369
				91/2	0.0175
				67	0.0515
				69	0.0658
				400-मि0	0.1525
				Total. .	**1.0834**
				Grand Total. .	**2.8093**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 21 (Twenty-one) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

10 मई, 2022 ई0

सं0 176/6/आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0), सं0सं0, लखनऊ नगर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) अधीन कलेक्टर, लखनऊ की राय है कि ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के परिसर के अन्दर स्थित भूमि 2.876 एकड़ भूमि की राज्य सुरक्षा और सामरिक हितों के प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

2–परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के प्रावधान लागू होंगे।

3–प्रस्तावित भूमि के अर्जन में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 लागू किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 9 में दी गयी छूट के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 40 की उप धारा 4 में वर्णित है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा/खसरा सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					(बीघा/बिस्वा में)
लखनऊ	सरोजनी नगर	बिजनौर	बिजनौर	1141	01-10-00
				1141	00-05-00

1	2	3	4	5	6
					(बीघा/बिस्वा में)
				1170	01-03-00
				1181	00-14-00
				1200	01-00-00
				योग. .	**04.12.00 (2.876 एकड़)**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–प्रस्तावित भूमि के अर्जन में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 लागू किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 40 उपधारा 4 के अनुसार अध्याय 2 से अध्याय 6 के उपबन्ध लागू किया जाना अनिवार्य नहीं है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा क्रय/विक्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ के कक्ष संख्या-42, कलेक्ट्रेट, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
(अभिषेक प्रकाश),
जिला कलेक्टर, लखनऊ।

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 4 जून, 2022 ई० (ज्येष्ठ 14, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE OF WITHDRAWAL

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ORIGINAL JURISDICTION]

Election Petition no. 13 of 2019.

(*U/s* 109(2) *of the R. P. Act, 1951*)

Shri Dinesh Kumar.....*Petitioner.*

VERSUS

Dr. Sanghmitra Maurya.....*Respondent.*

Election Petition against the election of Dr. Sanghmitra Maurya to the House of People General Election, 2019 from the 23, Badaun Parliamentary Constituency.

Whereas an Election Petition has been presented to this court by the above named petitioner in which he has made the withdrawal application and that the said application is fixed for hearing on 15th day of July, 2022.

Any one or other person desires of supporting or opposing the order/decision on the said withdrawal application, should appear before the court in person or by his advocate on or before the date fixed for the hearing of the withdrawal application.

Take notice that in default of entering appearance by anyone on the within said time, the withdrawal application will be heard and determined.

Given under my hand and the seal of the Court this 28th day of May, 2022.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Deputy Registrar,
High Court, Allahabad.

Election Petition no. 14 of 2019.

(*U/s* 109(2) *of the R. P. Act, 1951*)

Shri Dharmendra Yadav.....*Petitioner.*

VERSUS

Dr. Sanghmitra Maurya.....*Respondent.*

Election Petition against the election of Dr. Sanghmitra Maurya to the House of People General Election, 2019 from the 23, Badaun Parliamentary Constituency.

Whereas an Election Petition has been presented to this court by the above named petitioner in which he has made the withdrawal application and that the said application is fixed for hearing on 15th day of July, 2022.

Any one or other person desires of supporting or opposing the order/decision on the said withdrawal application, should appear before the court in person or by his advocate on or before the date fixed for the hearing of the withdrawal application.

Take notice that in default of entering appearance by anyone on the within said time, the withdrawal application will be heard and determined.

Given under my hand and the seal of the Court this 28th day of May, 2022.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Deputy Registrar,
High Court, Allahabad.

कार्यालय, नगर पचंायत गुन्नौर, जनपद-सम्भल

01 जुलाई, 2021 ई0

सं0 161/न0पं0गुन्नौर/2021-22–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पचंायत, गुन्नौर के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 04 पृष्ठ संख्या 664 दिनांक 08 अप्रैल, 2021 द्वारा नगर व नागरिक हित को दृष्टिगत रखते हुए अपने सीमान्तर्गत ''विविधकर (शुल्क) वसूली हेतु उपविधि नियमावली 2019'' तैयार की गयी है। जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगर वासियों व प्रभावित व्यक्ति/समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से नगर पंचायत, गुन्नौर जनपद-सम्भल को अवगत करा सकें।

अतएव समस्त नगर वासियों व प्रभावित व्यक्ति/समूह से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 30 दिन के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगर पंचायत गुन्नौर, कार्यालय को प्राप्त करायें, "निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्रात नहीं हुई। जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय लिया जा सके। समयावधि के पश्चात् कोई भी अपत्ति स्वीकार नही की जायेगी।

''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019''

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगर पंचायत पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत गुन्नौर उपविधि तैयार की गयी है। यह उपविधि ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019'' कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1–संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ–

(1) यह उपविधि ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2019'' कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत गुन्नौर की सीमा में प्रवृत्त होगा।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत गुन्नौर में प्रभावी होगी।

2–परिभाषायें–

उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ पढ़ा व समझा जायेगा।

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य ''उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916'' से है।

(2) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, गुन्नौर के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) ''नगर पंचाायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत गुन्नौर से है।

(4) ''अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य'' नगर पंचायत गुन्नौर के अध्यक्ष/प्रशासक'' से है।

3–विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली–

(क) ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन–समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 में उल्लिखित नियमों के अनुसार अपने स्थल पर उत्सर्जित/उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को उद्गम स्थल पर तीन हिस्सों में गीला सूखा एवं परिसंकटमय अपशिष्टों में तीन क्रमशः हरा, नीला व लाल, सफेद ढक्कननुमा

कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही नगर पंचायत गुन्नौर द्वारा निर्धारित कूडा चुनने वाले अथवा डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहकर्ता को निर्धारित मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। ताकि आम सड़कों/मार्गों पर नगर पंचायत द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गंदगी कूडा-करकट नहीं फैले–

[1] कोई व्यक्ति व संस्था निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने परिसर में भंडारित करेगा एवं Contruction and Demolation Waste Rule 2016 के अनुसार निपटान करेगा।

[2] नगर में स्थिति सभी को-आपरेटिव सोसाइटीज, एसोसियेशन आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व में उपयुक्त स्थान पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कंटेनर (नीला व हरा रंग के) स्थापित करेंगे जिनमें दैनिक उत्सर्जित कचरे का पृथक्-पृथक् भंडारण हो सके जिसका निस्तारण नगर पंचायत द्वारा निर्धारित देय यूजर चार्जेज देकर करायेगा।

[3] कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपशिष्ट को गली/मार्गो खुले सार्वजनिक स्थानों नाली/नाला या जलाशयों में न फेकेंगा, न जलायेगा और न ही गाड़ेगा। उपविधि का पालन न करने की दशा में 5,000.00 रुपये का जुर्माना वसूल किया जायेगा अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

[4] कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपने आवास के समीप खाली स्थानों पर कूड़ा नहीं डालेगा न डालने देगा कूडे के समीप निवासी को जिम्मेदार समझा जायेगा, जिसके लिए निकाय निर्धारित चालान करने में समर्थ होगा एवं अभियोग दायर किया जा सकेगा।

[5] बूचड खानो, मॉस-मछली बजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है, का प्रबंध ऐसी रीति से किया जायेगा कि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग में लाया जा सके, ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने प्रबंध कर नियमानुसार नगर पंचायत को मासिक यूजर चार्ज देकर निस्तारण सुनिश्चित कराना होगा।

[6] अस्पतालो, नर्सिंग होम्स, क्लीनिक, लैबोरेटरी आदि द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जायेगा। अस्पतालो, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक आदि के प्रबंधन द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नियम 2016 के निर्देशानुसार जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंध स्वयं सुनिश्चित कराना होगा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंध नगर पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज देकर सुनिश्चित कराया जायेगा।

[7] कोई भी व्यक्ति/निवासी अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगर निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क (यूजर चार्जेज) देकर निपटान करेगा।

[8] कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी निर्माण सामग्री को किसी दशा में सार्वजनिक मार्गो व सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालेगा। अनाधिकृत रूप से निजी मलवा/सामग्री डालना अधिनियम व नियमों के तहत दण्ड़नीय अपराध होगा।

[9] अपशिष्ट कूड़ा करकट, सूखी पत्तियों को जलाया नहीं जायेगा।

[10] कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन दिवस पूर्व स्थानीय निकाय/नगर पंचायत को सूचित किये बगैर किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या आयोजक, आयोजन स्त्रोत पर अपशिष्ट के पृथक भण्डारण की व्यवस्था करेगा और पृथक अपशिष्ट को नगर पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज जमा कर नियोजित अपशिष्ट संग्रहण अधिकरण को सौंपेगा।

[11] मार्ग विक्रेता जिसके अन्तर्गत फेरीवाला, गली की लेन, सार्वजनिक पार्को, सार्वजनिक स्थानों या प्राइवेट स्थानो पर अस्थाई निर्मित संरचना पट या घूम-घूम कर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटान हेतु ढ़क्कन युक्त कूड़ा पात्र रखना होगा।

[12] कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत द्वारा स्थापित अपशिष्ट कूड़ेदान के बाहर नही फेकेंगा। निर्धारित कूड़ेदान में निर्धारित अपशिष्ट डालेगा।

[13] पशुओं को अपशिष्ट कूड़ेदान स्थलों अथवा शहर के किसी अन्य स्थान के आस-पास घूमने नहीं दिया जायेगा इसका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

[14] कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी, कीचड़ पानी, नाईट स्वाइल, गोबर मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में किसी प्रकार एकत्रित नहीं करेगा, न सार्वजनिक मार्गो एवं नालियों में बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की संभावना हो अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध जुर्माना वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

[15] कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेसी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक स्थानों इत्यादि पर नहीं डालेगा। नगर पंचायत को निर्धारित यूजर चार्जेज देकर उसका निपटान करायेगा।

[16] नगर पंचायत सीमा के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों से एक सौ रुपये एवं पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर पचास रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। जिसकी अदायगी व्यक्ति को तुरन्त करनी होगी।

[17] यह कि माननीय उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 व नगर विकास अनुभाग-5 के आदेश संख्या 3595/नौ-5-2016-29/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर रु0 50,000.00 का आर्थिक दण्ड़ वसूल किया जायेगा।

[18] कोई भी व्यक्ति/निवासी सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व गेटों पर निजी या व्यापरिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर व स्लोगन नहीं लिखायेगा।

घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें तय की जाती है

क्र0 सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह नगर पंचायत गुन्नौर क्षेत्र/प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
1	घर (50 वर्ग मीटर तक)	15.00
2	घर (50 वर्ग मीटर से अधिक के)	50.00
3	व्यावसायिक जैसे ढाबा, मिठाई की दुकान, चाय की दुकान	100.00
4	गेस्ट हाउस	500.00
5	होस्टल	400.00
6	होटल रेस्टोरेंट	500.00
7	होटल रेस्टोरेंट (3 स्टार तक)	1,000.00
8	होटल रेस्टोरेंट (3 स्टार से ज्यादा)	2,000.00
9	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि	500.00
10	नर्सिंग होम (50 बेड तक)	1,500.00
11	नर्सिंग होम (50 बेड से अधिक)	3,000.00
12	छोटे उद्योग (10 किलो कूड़ा प्रतिदिन)	500.00
13	गोदाम, कोल्ड स्टोर (कूड़ा)	1,000.00
14	बारात घर, धर्मशाला (3000 वर्ग मीटर तक)	1,000.00
15	बारात घर, धर्मशाला (3000 वर्ग मीटर से अधिक)	1,500.00
16	अन्य व्यवसायिक उद्योग	नगर पंचायत द्वारा निर्धारित

नगर पंचायत की शक्ति–

1–नगर पंचायत क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिशेध होगा यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, मार्गों, निजी खुले स्थानों, पार्कों, पानी के श्रोतों इत्यादि पर गंदगी कूड़ा, करकट फैलाते व रखते पाया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी संलग्न ''अनुसूची-अ'' में घोषित/समय पर निकाय द्वारा निर्धारित जुर्माना (केरिग चार्जेज) ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने में सक्षम होगा।

2–नियम को लागू कराने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसे सख्ती से लागू कराया जायेगा। लागू कराने में असक्षम/लापरवाही/असमर्थ कर्मचारी के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उल्लेखित नियमों के अधीन सख्त कार्यवाही का अधिकारी ''प्राधिकारी'' को होगा।

(ख) उपविधियों के उल्लघंन में किये गये कृत्यों के लिए निर्धारित कैरिंग चार्ज–

क्र0 सं0	प्रतिबन्धित कार्य	प्रस्तावित दरें
1	2	3
		रु0
1	व्यक्ति या संस्था के द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार के अपशिष्ट को फेकना/जानवरों को बांधना या खिलाना/वाहनों की धुलाई/कपडे धोने/सार्वजनिक स्थल नदी, तालाब, कुआं इत्यादि में गन्दगी फैलाने पर	100.00 प्रति प्रकरण
2	मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर	100.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
3	घाटों सीढ़ियों सड़कों के डिवाइडर नाम पटों, साइनेज या मार्गदर्शक बोर्डो अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर।	400.00 प्रतिदिन
4	पालतु पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मल-मूत्र से गन्दगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर	100.00 प्रतिदिन
5	नाले, नालियों, ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने/कराने या गंदगी फैलाने पर	100.00 प्रति प्रकरण
6	डस्टविन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अवशिष्ट फैलाने पर	100.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण
7	कानून का उल्लंघन करते हुए पशु शव का अनियमित निस्तारण करने पर	500.00 प्रतिदिन
8	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहने पर	100.00 प्रतिदिन
9	प्रतिबंधित पॉलीथीन/थर्माकोल सामग्री का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर 1से50 माइक्रोन मोटाई से कम की पॉलीथीन का प्रयोग करने पर पेनॉल्टी/जुर्माना शुल्क एक सौ रुपये प्रति प्रकरण की जगह सभी प्रकार की मोटाई वाले पॉलीथीन/प्लास्टिक के साथ ही थर्माकोल से निर्मित कैरी बैग, कप, प्लेट, दोना, गिलास, चम्मच इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादों का प्रयोग करने पर पेनॉल्टी/जुर्माना शुल्क क्रमशः 100 ग्राम तक के वजन पर	शासन के निर्धारित दर सें
10	बिना पृथक्करण किये हुए बिना अलग-अलग निर्धारित डस्टविन में रखे हुए कूडें का सौपना–	
	(अ) व्यक्तिगत भवन	50.00 प्रतिदिन
	(ब) दुकान/हॉल/शॉपिंग कॉम्पलेक्स	100.00 प्रतिदिन
	(द) मैरिज लॉन/इवेंन्ट आर्गेनाइजर्स	200.00 प्रतिदिन
11	वृहद अपशिष्ट उत्सर्जकों (100 किलो ग्राम से अधिक प्रतिदिन) के द्वारा अपशिष्ट के उपचार हेतु आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करने पर	500.00 प्रतिदिन
12	विनिर्दिष्ट परिसंकट मय अपशिष्ट (हेजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर	100.00 प्रतिदिन
13	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर	500.00 प्रतिदिन
14	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट को यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	200.00 प्रतिदिन
15	वायोमेडिकल अपशिष्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	500.00 प्रतिदिन
16	भवन निर्माण सामंग्री और ढ़हाने (मलवा) के अपशिष्ट का यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर	500.00 प्रतिदिन
17	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	500.00 प्रतिदिन
18	सार्वजनिक स्थल पर अपशिष्ट जलाकर कूडा निस्तारण करने पर	500.00 प्रतिदिन
19	खुले में/सार्वजनिक स्थान पर शौच करने पर	100.00 प्रति प्रकरण
20	खुले में/सार्वजनिक स्थान पर मूत्र विसर्जन करने या थूकने पर	50.00 प्रति प्रकरण
21	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा या अन्य मांसाहारी जानवरों के अपशिष्ट को यथा विनिर्दिष्ट तरीके से डिलीवरी न करने पर	200.00 प्रतिदिन
22	बिना डिब्बा में/अपशिष्ट टोकरी के ठेले/फेरीवाले/फुटपाथ या किसी अन्य जगह पर सब्जी या फल के दुकानदारों के द्वारा अपशिष्ट फैलाने पर	100.00 प्रतिदिन
23	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनाधिकृत रूप से पानी बहाने पर	500.00 प्रतिदिन
24	सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह/भण्डारा/लंगर इत्यादि के पश्चात् चौबीस घण्टे के भीतर सफाई न कराये जाने पर	200.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
25	नगर पंचायत द्वारा स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत डोर टू डोर कलेक्शन एजेन्सी को कूड़ा उपलब्ध न कराये जाने पर	200.00 प्रतिदिन
26	ऑटो मोबाइल सर्विस सेन्टर/टू व्हीलर/फोर व्हीलर/स्पेयर पार्टस बेंचने वाले दुकानदारों की मरम्मत के दौरान कोई भी कूडा प्लास्टिक, पैकिंग मैटेरियल इत्यादि सड़क पर छोड़ने पर दुकान संचालकों पर	500.00 प्रतिदिन
27	होटल, रेस्टोरेंट/चाट, अण्डा, नॉनवेज, चाय, समोसा पकौड़ी, मिष्ठान, आइस्क्रीम इत्यादि खाद्य पदार्थ बेचने वाले अथवा उनके ग्राहकों द्वारा सड़क पर कूडा छोडे जाने वाले दुकानदारों पर	500.00/100.00 प्रतिदिन
28	बिल्डिंग मैटीरियल/मलबा सार्वजनिक स्थल/सड़क अथवा पटरी पर डालने पर	500.00 प्रतिदिन
29	सेप्टिक टैंक से क्लीनर मशीनों का एकत्रित सीवेज के सीवेजट्रीटमेंट प्लांट/सीवेज पम्पिंग स्टेशन या निकाय द्वारा उक्त हेतु अधिकृत स्थल के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक स्थलों/नालों/नदियों इत्यादि में डालने पर।	500.00 प्रति प्रकरण
30	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोड काटने/तोडने तथा नाली तोडने की दशा में	500.00 प्रतिदिन
31	नाले-नाली पर किसी प्रकार का अतिक्रमण (स्थायी निर्माण/दुकान, सर्विस सेन्टर व अन्य किसी भी प्रकार से) होने पर	500.00 प्रतिदिन
32	नगर पंचायत की भूमि/नाली/नाले/सड़क/फुटपाथ व भवन इत्यादि पर किसी भी प्रकार का स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण व निर्माण करने पर क्रमश–	5,000.00/2,500.00 आर्थिक दण्ड
33	स्वच्छ जल स्त्रोत को गंदा करने पर	500.00
34	वायु/ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर	500.00
35	गंदी सड़ी गली सब्जी/फल बिक्री करने पर	500.00
36	अपमिश्रित खाद्य पदार्थ के निमार्ण/बिक्री पर	500.00
37	नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सडकों एवं उनके पटरियों पर अवैध रूप से वाहन खडाकर अतिक्रमण करना	500.00 प्रति प्रकरण

(ग) नगर पंचायत की आय में वृद्वि के दृष्टिगत विभिन्न अनुभागों में प्रचलित लाइसेंस शुल्क की प्रस्तावति दरें–

क्र0 सं0	मद का नाम	प्रस्तावित दर
1	2	3
		रु0
1	होटल लाज तथा गेस्ट हाउस 20 शैया तक।	20,000 वार्षिक
2	मैरेज हाल	30,000 वार्षिक
3	नर्सिग होम 20 बेड तक	5,000 वार्षिक
4	नर्सिग होम 20 बेड से अधिक	10,000 वार्षिक
5	प्रसूति गृह 20 बेड तक	8,000 वार्षिक
6	प्रसूति गृह 20 बेड से अधिक	10,000 वार्षिक
7	प्राइवेट अस्पताल	10,000 वार्षिक
8	पैथोलाजी सेन्टर प्रति दुकान	3,000 वार्षिक
9	डेन्टल क्लीनिक प्रति दुकान	4,000 वार्षिक
10	एक्स-रे क्लीनिक।	3,000 वार्षिक
11	फाइनेंस कम्पनी चिट फण्ड	10,000 वार्षिक
12	एश्योंरेश कम्पनी प्रतिशाखा	10,000 वार्षिक
13	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	20,000 वार्षिक
14	कोचिंग संस्थान 25 छात्र/25 छात्र से अधिक छात्र की दशा में	2,000/5,000 वार्षिक
15	बार/वियर शॉप/माडल शॉप	12,000 वार्षिक
16	देशी शराब (प्रति दुकान)	10,000 वार्षिक
17	विदेशी शराब प्रति दुकान	15,000 वार्षिक

1	2	3
		रु0
18	टावर (रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल, फोन या अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियॉ भेजने और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है) संलग्न भवन संरचनाओं पर सम्पत्ति कर (जलकर, गृहकर) नियमानुसार देय होगा।	10,000 वार्षिक
19	बैटरी चलित आटो रिक्शा 4 सीटर (वार्षिक शुल्क अग्रिम जमा किया जा सकेगा)	100 प्रतिमाह
20	बैटरी चलित आटो रिक्शा 7 सीटर (वार्षिक शुल्क अग्रिम जमा किया जा सकेगा)	150 प्रतिमाह
21	डीजल चलित आटो रिक्शा (वार्षिक शुल्क अग्रिम जमा किया जा सकेगा)	200 प्रतिमाह
22	मिनी बस	450 प्रतिमाह
23	बस	450 प्रतिमाह
24	मिठाई की दुकान ''ए'' श्रेणी (विक्रय एवं जलपान व्यवस्था)	5000 वार्षिक
25	मिठाई की दुकान ''बी'' श्रेणी (विक्रय मात्र)	2000 वार्षिक
26	कुकिंग गैस एजेन्सी	3,000 वार्षिक
27	चाट, बतासे की दुकान	500 वार्षिक
28	आटा चक्की, तेल मिल, स्पेलर व रुई मशीन	1,000 वार्षिक
29	बीड़ी का कारखाना	6,000 वार्षिक
30	भैसा मांस की दुकान	1,000 वार्षिक
31	बकरा, मछली, मुर्गा की दुकान	1,000 वार्षिक
32	नगर पंचायत सीमा में स्थित आटा चक्की/धान काटने वाली मशीन/तेल पिराई मशीन/रूई धुनाई मशीन पर व्यवसायिक शुल्क	500 वार्षिक।
33	टू-व्हीलर एन्जेसी	10,000 वार्षिक
34	चार पहिया वाहन व टैक्टर एन्जेसी	20,000 वार्षिक
35	मान्यता प्राइवेट शिक्षण संस्थान	10,000/5,000 वार्षिक
36	सरिया सीमेन्ट की दुकान थोक	10,000 वार्षिक
37	सरिया सीमेन्ट की दुकान फुटकर	2,000 वार्षिक
38	कपडें की दुकान थोक	5,000 वार्षिक
39	कपडें की दुकान फुटकर	1,000 वार्षिक
40	किराना दुकान थोक	5,000 वार्षिक
41	किराना दुकान फुटकर	1,000 वार्षिक
42	जनरल स्टोर थोक	5,000 वार्षिक
43	जनरल स्टोर फुटकर	1,000 वार्षिक
44	लोहे की दुकान थोक	5,000 वार्षिक
45	लोहे की दुकान फुटकर	1,000 वार्षिक
46	महिला प्रसाधन की दुकान	2,000 वार्षिक
47	हार्डवेयर की दुकान	5,000 वार्षिक
48	मोरम बालू की दुकान	10,000 वार्षिक
49	बिल्डिंग मेटेरियल की दुकान	5,000 वार्षिक
50	लोहा वेल्डिंग मशीन ग्रिल जाली निर्माण आदि की दुकान	2,000 वार्षिक
51	फोटो स्टेट टाइप राइटर आदि की दुकान	2,000 वार्षिक
52	सहज जन सेवा केन्द्र	2,000 वार्षिक
53	कीट-नाशक दवाओं के थोक दुकान (पंजीकृत)	5,000 वार्षिक
54	कीट-नाशक दवाओं की फुटकर दुकान (पंजीकृत)	2,000 वार्षिक
55	मिट्टी तेल व डीजल के दुकानदार (पंजीकृत)	2,000 वार्षिक
56	नाई/हज्जाम की दुकान	1,000 वार्षिक
57	खाद बीज/उर्वरक की दुकान (पंजीकृत)	2,000 वार्षिक

1	2	3
		रु0
58	बुक स्टाल/कापी किताब/स्टेशनरी की दुकान	1,000 वार्षिक
59	स्वर्ण आभूषण की दूकान	5,000 वार्षिक
60	कोल्ड ड्रिंक/ठण्डा पेयजल की दुकान	1,000 वार्षिक
61	मेडिकल स्टोर थोक/फुटकर (पंजीकृत)	5,000/2000 वार्षिक
62	प्राइवेट क्लीनिक (पंजीकृत)	10,000 वार्षिक
63	इक्का तांगा	500 वार्षिक
64	आइस फैक्ट्री	2,000 वार्षिक
65	फल की दुकान	500 वार्षिक
66	इलेक्ट्रिकल्स/इलेक्ट्रॉनिक दुकान	5,000 वार्षिक
67	चश्में की दुकान	1,000 वार्षिक
68	कपडा सिलाई की दुकान	1,000 वार्षिक
69	जलाऊ लकडी बिक्री की दुकान	1,000 वार्षिक
70	लकडी फर्नीचर की दुकान	5,000 वार्षिक
71	गल्ला की थोक दुकान	5,000 वार्षिक
72	मोटर साईकिल मरम्मत की दुकान	1,000 वार्षिक
73	टैक्टर ट्रॉली (व्यवसायिक)	5,000 वार्षिक
74	जे0सी0बी0	10,000 वार्षिक
75	फोटो स्टूडियो/विडियो ग्राफी	5,000 वार्षिक
76	जूता चप्पल की दुकान	5,000 वार्षिक
75	चूड़ी की दुकान	1,000 वार्षिक

(घ) सेवाओं पर प्रस्तावित शुल्क दर–

		रु0
1	प्रमाण-पत्र/नकल शुल्क – प्रति प्रमाण-पत्र (सामान्य, एक सप्ताह के अन्दर)	100.00
2	प्रमाण-पत्र/नकल शुल्क – प्रति प्रमाण-पत्र (तत्काल 24 घण्टे के अन्दर)	200.00
3	दाखिल खारिज (बैनामा द्वारा) शुल्क	02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क का
4	दाखिल खारिज (वरासतन) शुल्क	2,000.00
5	दाखिल खारिज विलम्ब शुल्क (90 दिन के पश्चात् वरासतन/बैनामा)	30.00 प्रतिमाह
6	पेयजल आपूर्ति पर जलमूल्य घरेलू दर/नगर क्षेत्र से वाह्य	50.00 प्रतिमाह
7	पेयजल आपूर्ति पर जलमूल्य व्यवसायिक दर/नगर क्षेत्र से वाह्य	100.00 प्रतिमाह
8	वाटर टैंकर शुल्क (पंचायत सीमा में घरेलू/धार्मिक कार्य विवाह, कथा भण्डारा आदि) निःशुल्क	600.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर (08 घण्टे हेतु)
9	सीवरेज सक्शन मशीन उपयोग (पालिका सीमान्तर्गत) शुल्क	2,500.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर
10	सीवरेज सक्शन मशीन उपयोग शुल्क (पालिका सीमा बाह्य) प्रति कि0मी0	2,500.00 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर एवं 100 अतिरिक्त शुल्क प्रति कि0मी0
11	नगर पंचायत के मोबाइल टॉयलेट प्रतिचक्कर (नगर पंचायत सीमान्तर्गत) किराया शुल्क	1,500.00 प्रतिदिन (08 घण्टे हेतु)
12	नगर पंचायत के मोबाइल टॉयलेट प्रतिचक्कर (पंचायत सीमाबाह्य)	प्रति कि0मी0 100.00 शुल्क अतिरिक्त देय होगा
13	जे0सी0बी0 मशीन उपयोग शुल्क (पंचायत सीमान्तर्गत)	800.00 प्रति घण्टा
14	जे0सी0बी0 मशीन उपयोग शुल्क (पंचायत सीमा बाह्य)	800.00 प्रतिघण्टा एवं 100 अतिरिक्त शुल्क प्रति कि0मी0

		रु0
15	नगर पंचायत सीमान्तर्गत प्राइवेट सीवर मशीन (टैंक, सीवर आदि साफ करने हेतु) प्रयोग करने वाले व्यवसायिक फर्मों को लाइसेन्स शुल्क सीवेज अनलोड नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जायेगा।	15,000.00 प्रतिवर्ष
16	गाय/भैंस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर अर्थदण्ड	500.00 प्रति प्रकरण

(च) स्वतः कर निर्धारण (गृहकर) कर की दरें–

गृहकर निम्न दरों पर निर्धारित किया जायेगा–

[1] 10 फिट तक नगर में केवल एक मकान होने पर करमुक्त।

[2] वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत गृहकर देय होगा।

[3] वार्षिक मूल्यांकन की गणना निम्नलिखित दर (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) किराये की दरें (रुपये से) किया जायेगा।

[4] व्यवसायिक कर गृहकर कर का पांच गुना देय होगा।

क्र0 सं0	वार्ड सं0	वार्ड की श्रेणी	24 फुट से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन				24 फुट से 12 फुट तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन				12 फुट से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			
			पक्का	अर्द्ध पक्का	कच्चा	भूमि	पक्का	अर्द्ध पक्का	कच्चा	भूमि	पक्का	अर्द्ध पक्का	कच्चा	भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	C	1.00	0.90	0.75	0.30	0.75	0.60	0.40	0.25	0.50	0.30	0.25	0.10
2	2	C	1.00	0.90	0.75	0.30	0.75	0.60	0.40	0.25	0.50	0.30	0.25	0.10
3	3	C	1.00	0.90	0.75	0.30	0.75	0.60	0.40	0.25	0.50	0.30	0.25	0.10
4	4	C	1.00	0.90	0.75	0.30	0.75	0.60	0.40	0.25	0.50	0.30	0.25	0.10
5	5	B	1.50	1.25	0.90	0.40	1.00	0.80	0.60	0.25	0.75	0.60	0.50	0.20
6	6	B	1.50	1.25	0.90	0.40	1.00	0.80	0.60	0.25	0.75	0.60	0.50	0.20
7	7	B	1.50	1.25	0.90	0.40	1.00	0.80	0.60	0.25	0.75	0.60	0.50	0.20
8	8	B	1.50	1.25	0.90	0.40	1.00	0.80	0.60	0.25	0.75	0.60	0.50	0.20
9	9	B	1.50	1.25	0.90	0.40	1.00	0.80	0.60	0.25	0.75	0.60	0.50	0.20
10	10	B	1.50	1.25	0.90	0.40	1.00	0.80	0.60	0.25	0.75	0.60	0.50	0.20
11	11	B	1.50	1.25	0.90	0.40	1.00	0.80	0.60	0.25	0.75	0.60	0.50	0.20
12	12	B	1.50	1.25	0.90	0.40	1.00	0.80	0.60	0.25	0.75	0.60	0.50	0.20
13	13	B	1.50	1.25	0.90	0.40	1.00	0.80	0.60	0.25	0.75	0.60	0.50	0.20
14	14	B	1.50	1.25	0.90	0.40	1.00	0.80	0.60	0.25	0.75	0.60	0.50	0.20

[5] स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, दरगालय, सराय कर मुक्त रहेंगे।

[6] कर के निर्धारण में 50 पैसे से कम की राशि छोड़ दी जायेगी तथा 50 पैसे से अधिक को गणना पूरे रुपये में की जायेगी।

[7] कर की वसूली नगर पंचायत द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा कर की निर्धारित रसीद जारी की जायेगी और धनराशि प्रत्येक दिन सायं को कर्मचारी द्वारा कार्यालय में जमा की जायेगी।

[8] वसूली कर्मचारी को नगर पंचायत द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जायेगा। जो अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

नोट–उपरोक्त नगर पंचायत गुन्नौर ''विविधकर शुल्क उपविधि नियमावली 2019'' उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविधकर शुल्क की दरों में एवं प्रकाशित नगर पंचायत, गुन्नौर की उपविधि की दरों में कोई विरोधाभास हो तो ''विविधकर शुल्क उपविधि अधिनियम नियमावली 2019'' में उल्लिखित दरें प्रभावी मानी जायेगी।

शास्ति

उक्त नियमावली के किसी भी नियम के उल्लंघन किये जाने की दशा में किये गये शास्ति नियम/अन्य दशाओं मे रु0 1,000.00 अर्थदण्ड दिया जा सकता है। ऐसे उल्लंघन अपराध सिद्ध होने के उपरान्त भी निरन्तर बने रहने की दशा में ऐसे उल्लंघन के लिए अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या प्रशासक/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिये गये लिखित नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी उल्लंघन करता रहा है, रु0 20.00 (बीस रुपये) अर्थदण्ड किया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गुन्नौर,
जनपद सम्भल।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-"जगदीप सिंह", 58 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ रजिस्ट्रेशन सं0 203677 का पंजीकरण दिनांक 01 नवम्बर, 2017 को कराया गया था जिसमें जगदीप सिंह प्रथम, कुलदीप सिंह चौहान द्वितीय, मिनी चौहान तृतीय एवं लालता प्रसाद चतुर्थ साझेदार थे। उक्त फर्म के प्रथम साझीदार जगदीप सिंह का निधन दिनांक 01 फरवरी, 2022 को हो गया है। एवं चतुर्थ साझेदार लालता प्रसाद फर्म से दिनांक 05 मई, 2022 से हट गये हैं। उक्त तिथि से पूर्व के चतुर्थ साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में कुलदीप सिंह चौहान प्रथम एवं मिनी चौहान द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

कुलदीप सिंह चौहान,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम बेबी फ्रूटी है। जो मेरी एल0आई0सी0 पालिसी सं0 311842742 में अंकित है जबकि मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों पैन कार्ड एवं आधार कार्ड में ख्याति चौधरी है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे ख्याति चौधरी के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

प्रार्थिनी,
ख्याति चौधरी पुत्री शिव शंकर चौधरी,
नि0-नन्द भवन भारती नगर,
नियर इंग्लिश क्लब जफराबाद रोड, जौनपुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हे कि प्रार्थी का सही नाम मनीष कुमार सिंह है। त्रुटिवश प्रार्थी के पुत्र के शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम मनीष कुमार यादव अंकित हो गया है। जो गलत है। भविष्य में प्रार्थी को मनीष कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय। मनीष कुमार सिंह पुत्र श्री हरिवंश सिंह निवासी सा. 3/160-3 के0 एच0 भक्ति नगर कालोनी, पाण्डेयपुर, वाराणसी।

मनीष कुमार सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम रमेश कुमार पासवान पुत्र भागीरथ है। आधार, राशन, डी0एल0 इत्यादि में दिनेश कुमार पुत्र भागीरथ अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 की पालिसी सं0–230815809 में घर का नाम रमेश कुमार पासवान पुत्र भागीरथ अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे दिनेश कुमार पुत्र भागीरथ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

दिनेश कुमार,
पुत्र भागीरथ
नि0-75/10, ब्लाक 8, गोविन्दनगर,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स सेवन स्टार्स सेल्स, अरोरा मार्किट, शेख सराय, बुलन्दशहर-203001 की साझीदारी में श्री ध्रुव जैन, श्री शगुन जैन, श्रीमती राज रानी जैन एवं श्रीमती साधना जैन साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को श्री सुनील कुमार जैन एवं श्रीमती तृप्ति जैन फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए हैं तथा श्री ध्रुव जैन एवं श्री राज रानी जैन फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्रीमती साधना जैन, श्री शगुन जैन, श्री सुनील कुमार जैन एवं श्रीमती तृप्ति जैन साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

साधना जैन,
साझीदार,
मेसर्स सेवन स्टार्स सेल्स,
अरोरा मार्किट, शेख सराय,
बुलन्दशहर-203001।

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।